

कार्यालय,
साधिक प्राविधिक शिक्षा परिषद्,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संलग्न— प्राशिप / परिषद सम्बद्धता / 2019 / 1132

लखनऊ: दिनांक 15-5-2019

—कार्यालय ज्ञाप—

अधिकारी भारतीय तजनीकी शिक्षा परिषद द्वारा गोपक सत्र 2019-20 हेतु डिप्लोमा सतरीय तजनीकी सम्बद्धता संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरान्त प्राविधिक शिक्षा परिषद, ३० प्र० लखनऊ से सम्बद्धता दिसंबर पटान किए जाने हेतु दिनांक 14-5-2019 को आधार प्राविधिक शिक्षा परिषद, ३० प्र० लखनऊ की आधारता में परिषद कार्यालय में गैठक संपन्न हुई। गैठक में सत्र 2019-20 हेतु आवृद्धि नई संस्थाओं को सम्बद्धता/पूर्व से संचालित संस्थाओं का सम्बद्धता विस्तार/पाठ्यक्रम/प्रदेश क्षमता दृष्टि कमी हेतु सत्र 2019-20 हेतु सम्बद्धता प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

लक्ष के अनुक्रम में सम्बद्धता समिति की बैठक के मद-३ में डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम सम्बित इसमें दाती नई संस्था का प्रकरण रखा गया। सम्बद्धता समिति द्वारा गहन विचार-विमर्श कर निम्नलिखित निर्णय लिया गया—

“०आई०सी०टी०इ० द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुक्रम में संलग्नक-२ में अंकित पूर्व से सम्बद्ध डिप्लोमा फार्मेसी संस्थाओं के संबंध में समिति द्वारा विचार-विमर्श किया गया और सर्वसम्मति से संलग्नक-२ में अंकित संस्थाओं को सत्र 2019-20 हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय इस शर्त के साथ लिया गया कि संस्थाओं को डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम में प्रथम वर्ष में प्रवेश की संस्तुति सत्र 2019-20 हेतु संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आयोजित काउन्सिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व पी०सी०आई० अनुमोदन घन्त परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराने के उपरांत ही की जाएगी।”

अतः निम्नानुसार सब्वित संस्था को परिषद की निरीक्षण समिति एवं विषय-विशेषज्ञ द्वारा की गयी संस्तुति तथा सम्बद्धता समिति द्वारा लिये गये निर्णय के आधार पर प्राविधिक शिक्षा परिषद, ३० प्र० लखनऊ द्वारा सत्र 2019-20 हेतु निम्नानुसार संस्थाओं के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अंकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है—

क्र० सं०	संस्था कोड	संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	०आई०सी०टी०इ०/५०सी०आई० द्वारा सत्र 2019-20 में अनुमोदित प्रदेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2019-20 में अनुमोदित प्रवेश क्षमता
१	3374	संस्कृति कौलेज ऑफ हायर एज्युकेशन एवं स्टडीज, मोगननीपुर, कानपुर देहली-280111	डिप्लोमा इन फार्मेसी	६०	६०

सम्बद्धता हेतु शर्त

- ✓ संस्था ०आई०सी०टी०इ० द्वारा निर्धारित की गयी शर्तों का पूर्णता पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एकट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद योनियमकाली 1992 तथा अन्य नियमित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शुल्क नियमारण समिति द्वारा निर्धारित शुल्क तीन वर्षीय इजी० पाठ्यक्रमों हेतु ₹० ३०,१५०.००/- परिवर्ती दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम हेतु ₹०- ४५,०००.००/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय फार्मेसी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त) हेतु ₹०- २२,५००.०० प्रतिवर्ष शुल्क ही ग्रत्यक छात्र/छात्रा से प्राप्त किया जायेगा। उपरोक्त के अतिरिक्त छात्र/छात्राओं से शुल्क वै समय-समय पर शारान द्वारा गिरीत किये जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे और तदनुसार

- ✓ कार्यवाही किया जाना आवश्यक होगा। जोस निधीरण समेत द्वारा यदि राज 2019-20 हेतु कोस का पूरनीधारण किया जाता है तो पीस की नीति तम दर लागू होगी।

✓ सरका उपरेक्षा प्रतिक्रिया किसी समितियों द्वारा उप समितियों सरकारी को सम्बद्ध किया जाना) जिनियमावली-2000 की तर्ती वर अनुपालन करना होगा।

✓ सरका में सदृक प्रतिक्रिया परिषद द्वारा आयोजित भारी का यह प्रवारा किया जायेगा। शीटों के रिक्त रह जाने की विवाही में उत्तर प्रदेश राजन के निर्देशान्वयन ही प्रवारा की कार्यवाही की जायेगी।

✓ सरका को समर्थन पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।

✓ सरका उपरेक्षा प्रतिक्रिया द्वारा बनाये गये निधि/नियमों/अधिनियमों/शासनादेशों/निर्देशों एवं निर्देशक चालिकोड हित्या उपरेक्षा प्रतिक्रिया परिषद, उपरेक्षा प्रतिक्रिया परिषद, उपरेक्षा द्वारा बनाये गये नियमों और उपरेक्षा का बाल्स करने के लिये पाप्य होगी।

✓ 'केवल' इन कामोंसी पाठ्यक्रम की सरकार यदि पी.सी.आई. नहीं दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती है तो इस रबव में समर्त उत्तरदायित्व सरका का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए सरका रव्य उत्तरदायी होगी। प्राधिक्रिया किसी परिषद, सदृक्षा प्रवेश परिषद, प्राधिक्रिया किसी निर्देशालय एवं प्राधिक्रिया किसी निभाग उत्तर प्रदेश शासन जो कोई बाट दायरे किया जाता है तथा दायरे बाट जो रबव में सा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति रबवी आदेश निर्गत किया जाता है तो समर्त प्रतिपूर्ति सरका को करनी होगी।

✓ 'केवल' इन कामोंसी पाठ्यक्रम संबालित करने वाली सरकारी को संयुक्त प्रदेश परिषद, उत्तर प्रदेश लड्डनरु द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परिषद हेतु काउन्सिलिंग प्रारम्भ होने के पूर्व पीएसीआई से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय को उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (काउन्सिलिंग के शायम से अच्छा सरका स्तर पर सीधे प्रदेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।

✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रदेश हेतु निर्गत नीतिनाम आकाश नियमों का अनुपालन करना आवश्यक होगा।

✓ सरका को अपने वैबवाइट पर सरका की समस्त सूचनाएं जैसे सरका की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, स्टाफ, सज-सज्जा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाल शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।

✓ सरका को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपर्युक्त बातावरण उपलब्ध कराने के साथ ऐसी बीकाने के सम्बन्ध में समर्त आवश्यक घावस्या सुनिश्चित करनी होगी।

✓ सरका यह सुनिश्चित हो ले कि सरका में प्रत्याधित/संबालित पाठ्यक्रम को बदलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समस्त उपलब्ध कराये गये अमिलेख, भूमि-भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का यदि सरका द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संबालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है तो सम्भा उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल सरका की समाज किये जाने की अनुशासनी की जायेगी।

✓ सम्बद्धता तर्ती का अनुपालन न किये जाने अथवा तर्ती का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अन्यासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।

(अजीव कुमार सिंह)
गोपेत

प्र०स० – प्राणिय / परिषद सम्बन्धी / 2019 / 1133-3253

संदिग्ध 15-5-2018

प्रतिलिपि- प्रधानाधार्य / निदेशक, सरकारी कौलेज औफ इंजीनियरिंग एंड कंप्यूटर सॉल्यूशन एण्ड स्टडीज, भोगनीपुर, कानपुर
दाता २५/११/११

(संजीव कुमार सिंह) श्रीमद्भगवत्

कार्यालय,
समिति, प्राचीनिक शिक्षा परिषद्,
संसाध पद्म सा लखनऊ ।

संख्या - प्रारिद्ध - परिवर्तनात्मक / 2020 / 1971

870-100 15-9-2020

—३०४—

पर्याप्त भवितव्य के लिए विदेशी परिषद नहीं दिल्ली राजनीति का अधिक दृष्टिकोण से दिल्ली का इसका अधिकारी है। इसका उपर्युक्त अधिकारी अमरप्रसाद राजनीति का अधिकारी द्वारा किया जाने का विवरण है। इसका उपर्युक्त अधिकारी अमरप्रसाद राजनीति का अधिकारी द्वारा किया जाने का विवरण है। इसका उपर्युक्त अधिकारी अमरप्रसाद राजनीति का अधिकारी द्वारा किया जाने का विवरण है।

जैसे वह सक्रम में गवाहाकार प्रमिलि की दुर्लभ भी अद्यता में छिपती हुई प्रतीक्षा प्राप्त होना चाहिए। उसे इस विषय पर ध्यान देना चाहिए। उपर्युक्त जानकारी द्वारा यानि दिन-बिहिन के विषय पर ध्यान

निचोड़ी ईन में स्थापित डिस्ट्रीक्ट इन कार्मेंसी पालमकर संचालित करने वाली संस्थाएं जो प्राधिकृत शिक्षा परिषद् न०१० लखनऊ से पूर्व से सम्बद्ध हैं। ऐसे सत्र 2020-21 हेतु पी०सी०आई० द्वारा उन्हें विभागीय अनुमोदन विस्तार प्रदान किया गया है। इन संस्थाओं में पी०सी०आई० द्वारा प्रदान किये गये अनुमोदन विस्तार के अनुसार उनकी भाग की समनुच्छ अकित पालमकर/प्रदेश शमाल के साथ सत्र 2020-21 हेतु परिषद् से सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने वाली समिति द्वारा विस्तार-विमर्श किया गया। एवं सर्वसम्मति से पी०सी०आई० द्वारा प्रदत्त अनुमोदन विस्तार के अनुकूल के सत्र 2020-21 हेतु परिषद् से सम्बद्धता विस्तार किये जाने का निर्णय किया गया।

विवरण १४-३-२०२० को अग्रह लम्बदूता दस्तिके परी घैटपा में जिये गये उपरोक्त विस्तृत दो समुदाय में विभिन्न रूप से विभिन्न रूप से परिवर्तन देखा गया परिवर्तन ३० एवं ५८ लक्षणमें होता रहा २०२०-२१ है। जिसांकि इसी दो विभिन्न प्रदूषकों द्वारा दो विभिन्न रूप से प्रभावित होता है।

क्र. संख्या	संस्था का नाम	पाठ्यपुस्तक का नाम	मीटिंगों/शिविरों में प्रदर्शन का तारीख	प्रोत्तरीकरण का तारीख
5374	गल्लूति एजेंसी भील संविधान संघर्षकार्यक्रम के द्वारा आयोजित कराया गया।	प्राचीन भूमि वापर	2020-21 में अनुसारी	2020-21 में अनुसारी
		प्राचीन भूमि वापर	प्रदर्शन का तारीख	प्रोत्तरीकरण का तारीख

第十一章

- ✓ यह ग्रन्तीकारी विभागीय तथा नियमित वर्षों की अपेक्षा इसकी विधि अधिक है।
 ४ यह एवं वास्तव में विभिन्न विधियों के साथ जुड़ी है। यह विभिन्न विधियों के साथ जुड़ी है।

在這段時間，我會繼續研究如何將我的研究方法應用於其他領域，並進一步發展我的研究興趣。

ANSWER

Digitized by srujanika@gmail.com / 2020 / 1977-1981

2016 RELEASE UNDER E.O. 14176

प्राप्ति- प्राप्ति/प्राप्ति संख्या/2029/ १०२-३६।

卷之三

कार्यालय,

साधिय. प्राविधिक शिक्षा परिषद.

उत्तर प्रदेश लखनऊ।

संख्या:- प्राशिप/परिषद सम्बद्धता/2021/3537

लखनऊ: दिनांक: 09/08/2021

कार्यालय ज्ञाप-

वर्तमान भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद, नई दिल्ली फार्मेसी काउन्सिल ऑफ इफिडेपा, नई दिल्ली द्वारा शैक्षिक सत्र 2021-22 हेतु डिप्लोमा स्तरीय तकनीकी शिक्षण संस्थाओं को अनुमोदन प्रदान किए जाने के उपरांत प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ से सम्बद्धता/सम्बद्धता विस्तार प्रदान किए जाने हेतु दिनांक: 09/08/2021 को परिषद कार्यालय में सम्बद्धता समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक में समिति द्वारा सत्र 2021-22 हेतु आवेदित नई संस्थाओं को सम्बद्धता पूर्व से संचालित संस्थाओं की सम्बद्धता विस्तार पाठ्यक्रम/प्रवेश क्षमता वृद्धि सहित अन्य मदों पर विचार करते हुए सत्र 2021-22 हेतु सम्बद्धता सम्बद्धता विस्तार प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

सम्बद्धता समिति की बैठक में लिये गये निर्णय के अनुक्रम में निम्न संस्था को प्राविधिक शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा सत्र 2021-22 हेतु निम्नांकित शर्तों के अधीन पाठ्यक्रम एवं उसमें अकित प्रवेश क्षमता हेतु सम्बद्धता विस्तार प्रदान की जाती है -

संस्था का कोड एवं नाम : 3374-SANSKRITI COLLEGE OF HIGHER EDUCATION AND STUDIES ,
BHOGNIPUR, KANPUR DEHAT- 290111.

क्र०सं०	पाठ्यक्रम का नाम	ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता	परिषद द्वारा सत्र 2021-22 हेतु अनुमोदित प्रवेश क्षमता
1	DIPLOMA IN PHARMACY	60	60

सम्बद्धता हेतु शर्तें:

- ✓ संस्था ए०आई०सी०टी०ई०/पी०सी०आई० द्वारा निर्धारित की गयी सभी शर्तों का पूर्णतः पालन करेगी।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद एकट 1962 तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद विनियमवाली 1992, सेमेस्टर नियमावली 2016 तथा अन्य निर्मित नियमों एवं आदेशों का अनुपालन करेगी तथा शूल्क नियरिण समिति द्वारा निपारित शूल्क तीन वर्षीय इंजी० पाठ्यक्रमों हेतु रु० 30150.0०/- प्रतिवर्ष, दो वर्षीय कार्मेसी पाठ्यक्रम हेतु रु० 45000.0०/- प्रतिवर्ष एवं एक तथा दो वर्षीय पाठ्यक्रमों (दो वर्षीय कार्मेसी पाठ्यक्रम के अलिंगित) हेतु रु० 22000.0०/- प्रतिवर्ष शूल्क ही प्रत्येक छावड़ा से प्राप्त विज्ञा जाधेमा उपरोक्त के अलिंगित जावड़ाओं से शूल्क के सम्बन्ध में समय-समय पर शासन द्वारा निर्णय जाने वाले शासनादेश प्रभावी होंगे और तदनुसार किया जाता है, तो फीस की नवीनतम दरें लागू होंगी।
- ✓ संस्था वो (उत्तर प्राविधिक शिक्षा समितियां तथा उप समितियां संस्थाओं को सम्बद्ध किया जाना) विनियमावली 2000 की शर्तों का अनुपालन करेगा हमारा।

- ✓ संस्था में संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद द्वारा आवृत्ति हाजी को ही प्रवेश दिया जायेगा। सीटों के रिक्त रह जाने की स्थिति में उत्तर प्रदेश शासन के निर्देशानुसार ही प्रवेश की कार्यवाही की जायेगी।
- ✓ संस्था को समय-समय पर निर्गत शासनादेश के अनुसार निरीक्षण एवं सम्बद्धता शुल्क जमा करना होगा।
- ✓ संस्था को ₹०.आई०.सी०.टी०.इ०.पी०.सी०.आई० से आगामी सत्र हेतु अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था उत्तर प्रदेश शासन द्वारा बनाये गये विधि/नियमो/अधिनियमो/शासनादेशों/निर्देशों एवं निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उ०प्र० संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उ०प्र० तथा प्राविधिक शिक्षा परिषद, उ०प्र० द्वारा बनाये गये नियमो, विनियमो, भावेशो निर्देशो का पालन करने के लिये ध्यान द्याये होंगी।
- ✓ डिप्लोमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम की संस्थाएं पदि पी सी.आई. नई दिल्ली से अनुमोदन प्राप्त करने में असफल रहती है तो इस संबंध में समस्त उत्तरदायित संस्था का होगा और विधिक रूप से किसी भी कार्यवाही के लिए संस्था स्वयं उत्तरदायी होगी। प्राविधिक शिक्षा परिषद, संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, प्राविधिक शिक्षा निदेशालय एवं प्राविधिक शिक्षा विभाग उत्तर प्रदेश शासन को कोई वाद दायर किया जाता है तभा दायर वाद के संबंध में मा. न्यायालय द्वारा किसी प्रकार की प्रतिपूर्ति संबंधी आदेश निर्गत किया जाता है तो समस्त प्रतिपूर्ति संबंधित संस्था को करनी होगी।
- ✓ हिजीमा इन फार्मेसी पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाओं को संयुक्त प्रवेश परीक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा द्वयोक वर्ष के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा हेतु कानूनिक्लिंग प्रारम्भ होने के पूर्व पी०.सी०.आई० से अनुमोदन प्राप्त कर परिषद कार्यालय की उपलब्ध कराना होगा अन्यथा उन्हें प्रवेश की (कानूनिक्लिंग के माध्यम से अधिक संस्था स्वयं पर सौंधे प्रवेश) अनुमति नहीं प्रदान की जायेगी।
- ✓ उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रवेश हेतु निर्गत नवीनतम आरक्षण नियमो का अनुपालन करना आवश्यक होगा।
- ✓ संस्था को अपने बैचाइट पर संस्था की समस्त सूचनाएं जैसे संस्था की ऐतिहासिक पृष्ठि भूमि, स्टाफ, साझ-सञ्चा, उपकरण, प्राप्त किया जाने वाला शुल्क, छात्रावास शुल्क आदि का विवरण उपलब्ध कराना होगा।
- ✓ संस्था को शिक्षण-प्रशिक्षण हेतु उपर्युक्त वातावरण उपलब्ध कराने के साथ रैगिंग रोकने के सम्बन्ध में समस्त आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित करनी होगी।
- ✓ संस्था यह सुनिश्चित हो सके कि संस्था में प्रस्तावित संचालित पाठ्यक्रम को चलाये जाने हेतु निरीक्षण समिति के समक्ष उपलब्ध कराये गये अभिलेख, भूमि, भवन, फर्नीचर, उपकरण इत्यादि का पदि संस्था द्वारा किसी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन में प्रयोग किया जाता है और परिषद को इसकी जानकारी होती है कि संस्था उपरोक्त का प्रयोग किसी अन्य कार्य के लिए कर रही है तो तत्काल संस्था की सम्बद्धता समाप्त किये जाने की अनुशंसा की जायेगी।
- ✓ संस्था के स्थलीय निरीक्षण दौरान यदि संस्था में भूमि, भवन, प्रयोगशाला, उपकरण एवं अन्य साझ-सञ्चा ए०.आई०.सी०.टी०.इ०.पी०.सी०.आई०/परिषद के मानकानुसार उपलब्ध नहीं पाया जाता है तो संस्था की सम्बद्धता समाप्त कर दी जाएगी।
- ✓ सम्बद्धता शर्तों का अनुपालन न किये जाने अथवा शर्तों का उल्लंघन किये जाने की स्थिति में नियमानुसार अनुपालनामक कार्यवाही की जायेगी।

(सुनील कुमार सोनकर)

सचिव

पृ०.सी०- प्राणिप/परिपद सम्बद्धता/2021/3538-4809

दिनांक: 09/08/2021

प्रतिलिपि:-

प्रधानाचार्य/निदेशक SANSKRITI COLLEGE OF HIGHER EDUCATION AND STUDIES , BHOGNIPUR, KANPUR DEHAT- 290111.